UPMH010026272026

<u>न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या–1, महराजगंज।</u>

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र सं०–752/2026

वसीउल्लाह पुत्र ताहीर खान उम्र करीब 41 साल साकिन मौजा–सिरसिया, मल्लनलियां, थाना–श्यामदेउरवां, जनपद–महराजगंज।

....आवेदक/अभियुक्त

<u>बनाम</u>

उ०प्र० राज्य,

....विपक्षी

मु0 नं0–8349/2024
मु०अ०सं०–23/2024
धारा–419, 420, 504, 506, 406 आई०पी०सी०
थाना–चौक, जिला–महराजगंज

<u>18.06.2026</u>

1. आवेदक/अभियुक्त **वसीउल्लाह** की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मु0 नं0–8349/2024 , मु०अ०सं०–23/2024 अन्तर्गत धारा–419, 420, 504, 506, 406 आई०पी०सी० थाना–चौक, जनपद-महराजगंज के मामले में जमानत पर रिहा किये जाने हेतु अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि "वादी के लड़के मो० अख्तर को बक्शीश, टुनटुन व वसीउल्लाह ने 15 सौ रेयाल वेतन का प्रलोभन देकर गलत काम का बीजा देकर सउदी अरब भेज दिये। उससे बक्शीश ने मु0–1,40,000/– रूपये नगद लिया तथा वसीउल्लाह के खाता में 40,000/– रूपये उसने दिया, जिस बीजा पर वह लोग बढ़िया काम का प्रलोभन दिये, वह काम नहीं नहीं मिला, लड़को के वापस आने के बाद उसने अपने पैसों की मांग किया तो उक्त बक्शीश सिर्फ 30 हजार रूपये उसके खाते में देकर बाकी पैसा हड़प लिया। जब पूरा पैसा देने के लिए उन लोंगो से कहा तो वे लोग गाली गुप्ता देते हुए मारपीट पर आमादा हो गये। उपरोक्त लोग मामले को रफा दफा करने के लिए जान से मारने की धमकी दिये।"

3. मैंने उभयपक्षों के तर्कों को सुना तथा अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र के साथ प्रस्तुत पत्रावली का अवलोकन किया।

4. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र के समर्थन में यह तर्क दिया गया है कि "प्रार्थी पूर्णतः निर्दोष है, कोई जुर्म कारित नहीं किया है, फिर भी प्रार्थी को रंजिशन तथाकथित मुकदमा अपराध उपरोक्त में फंसाया

गया है। तथाकथित मुकदमा अपराध उपरोक्त में प्रार्थी की कोई भूमिका नहीं रही है और न ही प्रार्थी वादी मुकदमा से कोई बीजा दिलाने के नाम पर पैसा ही लिया है। प्रार्थी तथाकथित मुकदमा उपरोक्त के वादी मुकदमा को न तो जानता पहचानता है और न ही वादी मुकदमा वके मुहल्ले का रहने वाला है। प्रार्थी वादी मुकदमा से उसके पुत्र को सउदी भेजने की बातचीत नहीं की है। प्रार्थी सह अभियुक्त बक्शीश का परिचित है। बक्शीश के साजिश व प्रभाव में आकर प्रार्थी के खाते में मु0–40,000/– रूपये अभियोगी द्वारा भेजा गया था। सही तथ्य की जानकारी होने पर अभियोगी द्वारा भेजा गया मु0–40,000/– रूपये दिनाँक–16.07.2024 को वापस कर दिया गया। इस बात का सुलहनामा भी अभियोगी ने तहरीर किया है। तथाकथित मुकदमा उपरोक्त की सम्पूर्ण कहानी फर्जी एवं बनावटी है, जिससे प्रार्थी के विरूद्ध आरोपित अपराध आयत नहीं होता है। प्रार्थी मुकामी जिले का रहने वाला है, जिसके बाद जमानत भागने की कोई सम्भावना नहीं है और प्रार्थी माननीय न्यायालय के आदेशानुसार स्थानीय व माकूल जमानत देने को तैयार है। प्रार्थी को तथाकथित मुकदमा अपराध उपरोक्त की कोई जानकारी नहीं थी, बल्कि मुकदमा उपरोक्त में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेशिका जारी होने के पश्चात जानकारी हुई। तथाकथित मुकदमा अपराध उपरोक्त का वादी मुकदमा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय से गैर जमानतीय वारण्ट का आदेश जारी कराकर प्रार्थी को गिरफ्तार कराकर अपमानित कराना चाह रहा है, और स्थानीय पुलिस प्रार्थी को सरगर्मी से तलाश कर रही है। प्रार्थी सामाजिक व्यक्ति है। यदि प्रार्थी को स्थानीय पुलिस गिरफ्तार करती है तो प्रार्थी की प्रतिष्ठा समाज में गिर जायेगी। 10. यह कि तथाकथित मुकदमा अपराध उपरोक्त की विवेचना समाप्त होकर प्रार्थी के विरूद्ध अन्तर्गत धारा–419, 429, 504, 506, 406 आई०पी०सी० में आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित हो चुका है, जिससे विवेचना में हस्तक्षेप होने की सम्भावना समाप्त हो गयी है। प्रार्थी तथाकथित मुकदमा अपराध उपरोक्त मे न तो किसी साक्षी को धमकी देगा और न ही अनावश्यक प्रलोभन ही देगा। तथाकथित मुकदमा अपराध उपरोक्त में विचारण में प्रार्थी सहयोग करेगा और साक्षीगण के न्यायालय उपस्थित रहने पर अनावश्यक स्थगन प्रार्थना पत्र नहीं देगा। प्रार्थी न्यायालय के अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोड़ेगा। प्रार्थी के विरूद्ध आरोपित अपराध प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा परीक्षणीय है जिसमें अधिकतम सजा 7 साल तक नियत है। प्रार्थी का यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र है। इसके अलावा न तो श्रीमान् के न्यायालय से खारिज हुआ है और न ही माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद अथवा किसी अन्य न्यायालय में लम्बित ही है। प्रार्थी को अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। अतः प्रार्थना है कि, प्रार्थी का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए प्रार्थी को अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने का आदेश देने की कृपा प्रदान करें।"

5. राज्य की ओर से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध किया गया और तर्क दिया गया है कि

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध गंभीर है। अतःप्रार्थीगण का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है

6. मैंने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता तथा सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली एवं थाने से प्राप्त आख्या का अवलोकन किया।

7. पत्रावली एवं थाने से प्राप्त आख्या के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त पर वादी के लड़के को विदेश में रोजगार दिलाने के नाम में उससे ठगी करके पैसे ऐठने का आक्षेप है। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने यह ध्यान दिलाया कि प्रार्थी/अभियुक्त की भूमिका अत्यन्त सीमित है, किन्तु पत्रावली एवं केस डायरी के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्त वादी के लड़के मो० अख्तर को सउदी अरब भेजने के लिये 15 सौ रेयाल वेतन का प्रलोभन देने में सहअभियुक्त के साथ शामिल था और उसके समक्ष रुपये दिये गये थे, साथ ही उसके खाते में भी रु0–40,000/– अंतरित किया गया था। उक्त विष्लेषण से स्पष्ट है कि इस पूरे अपराध में वह बख़्शीश के साथ प्रलोभन देकर गलत का वीजा पर वादी के लड़के को सउदी भेजने में भूमिका निभाया है। ऐसी स्थिति में मामले के गुण–दोष में गये बिना मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों में अभियुक्त को अग्रिम जमानत दिये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। तदनुसार आवेदक/अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

8. आवेदक/अभियुक्त **वसीउल्लाह** की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांक-18.06.2026

(संजय मिश्र)
प्रभारी अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या-2, महराजगंज।
जे०ओ० कोड यू०पी० 6257